रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072022-237229
CG-DL-E-09072022-237229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9, 2022/आषाढ़ 18, 1944
No. 490] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9, 2022/ASHADHA 18, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 528(अ).— केन्द्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 43ड की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय माध्यस्थम् परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अर्हता, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 हैं ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ,-

(क) "अधिनियम" से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) अभिप्रेत हैं ।

(ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अधिनियम की धारा 43ड के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है ।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इनमे में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है ।

3. नियुक्ति प्राधिकारी.- अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

4. वेतन और भत्ते.—मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वेतन मेट्रिक्स में स्तर 15 (182200-224100 रुपए) में वेतन और ऐसे भत्ते तथा फायदे संदत्त किए जाएंगे जो समान वेतन वाला पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को यथा-अनुज्ञेय है ।

5. भर्ती की पद्धति.— मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर की जाएगी ।

6 पात्रता मानदंड.— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वायत्त निकायों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो और,-

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) संयुक्त सचिव या समतुल्य पद न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए धारण किया हो और प्रशासन या विधिक कार्य के क्षेत्र में अनुभव रखते हों; या

(iii) अपर जिला जज के रूप में पांच वर्ष के अनुभव के साथ न्यायिक पद धारण करते हों; और

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से प्रबंध या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री अथवा विधि में बेचलर डिग्री रखता हो,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

7. नियुक्ति की अवधि.— (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पदावधि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी ।

(3) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

8. आमेलन.— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति आमेलन के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

9. अनुशासनिक कार्यवाही.— मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी वेतन में समूह क से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार होगी ।

10. वास सुविधा.-- मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसी दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा जो उन स्थानों पर पद स्थापित तत्स्थानी वेतन के पद को धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह क के अधिकारियों को यथा-अनुज्ञेय हैं ।

11. सेवाओं की शर्तें.- मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, चिकित्सा सुविधाओं के मामलों में सेवा की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी वेतन के समूह क से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्समय लागू हो ।

12. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

13. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

14. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

15. अवशिष्ट उपबंध.- ऐसे मामले जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, परिषद द्वारा विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

[फा. सं. ए-60011/152/2019-प्रशासन. III (एलए))]

सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2022

G.S.R. 528(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 read with sub-section (2) of section 43M of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Arbitration Council of India (Qualifications, Appointment and other Terms and Conditions of the Service of Chief Executive Officer) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996); and

(b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under section 43M of the Act.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Appointing authority. -** The Chairperson shall be the appointing authority of the Chief Executive Officer.

4. **Salary and allowances.-** The Chief Executive Officer shall be paid a salary in level 15 (Rs.182200-224100/-) in the pay matrix and other allowances and benefits, as are admissible to the Central Government officer holding the post carrying the same pay.

5. **Method of recruitment .–** The appointment of the Chief Executive Officer shall be made on deputation (including short-term contract) in accordance with the orders and instructions of the Central Government issued from time to time for appointment of Chief Executive Officers in autonomous bodies.

6. **Eligibility criteria.-** Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies or recognised Universities, who are not less than 45 years of age and,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) holding a post of Joint Secretary or equivalent for a minimum period of two years and having experience of working in areas of administration or legal work; or

(iii) holding a post of Judicial officer with at-least five years of experience as Additional District Judge; and

(b) possessing Master's degree in Management or Economics or Public Administration or a Bachelor's degree in Law from a recognised University or Institution,

shall be eligible for appointment to the post of the Chief Executive Officer on deputation.

7. **Term of appointment. -** (1) The term of appointment of the Chief Executive Officer shall ordinarily not exceed three years.

(2) The term of the Chief Executive Officer may be extended with the approval of the Central Government in accordance with the orders and instructions of the Central Government issued from time to time in this behalf.

(3) The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

8. Absorption. - Notwithstanding anything in these rules, the persons appointed as Chief Executive Officer, shall not be eligible to be considered for absorption.

9. **Disciplinary proceedings. -** The disciplinary proceedings against the Chief Executive Officer shall be as per rules and regulations applicable to officers and employees belonging to Group A of the corresponding scales of pay of the Central Government.

10. **Accommodation. -** The Chief Executive Officer shall be entitled to a house rent allowance at the same rate, as are admissible to officers of Group A of the Central Government holding the post in corresponding scale of pay, stationed at those places.

11. **Conditions of service. –** The conditions of service of the Chief Executive Officer in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group A in corresponding scales of pay in the Central Government.

12. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. **Power to relax. -**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward

Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

15. **Residuary provisions. -** Matters with respect to which no express provision has been made under these rules shall be referred by the Council to the Central Government for its decision.

[F. No. A-60011/152/2019-Admn.III (LA)]

SUNITA ANAND, Jt. Secy. and Legal Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR